5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–राजगढ़

1– रविन्द्र कुमार इंगले पुत्र श्री पी.डी इंगले

2– शोभा इंगले पत्नी श्री रविन्द्र कुमार इंगले

3– रामकृष्ण गुप्ता पुत्र श्री उकारबक्ष सिंधी निवासीगण – सदर बाजार राजगढ जिला – रामगढ़ (म.प्र.)

.... प्रार्थीगण

विरूद्ध

गुलाब सिंह पुत्र श्री कनीराम गुजर निवासी – बेडाकापुर तहसील राजगढ़ जिला – राजगढ (म.प्र.)

...... प्रतिप्रार्थी

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 814/तीन/2014 पुनरीक्षण को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 814/तीन/2014 प्रस्तुत किया गया था जिसमें तारीख पेशी दिनांक 23.12.2015 नियत की गई थी।

(2) यहकि, उक्त तारीख पेशी अभिभाषक की दैनिक डायरी में नोट करने से रह गयी थीं इसलिये वह उक्त तारीख पेशी दिनांक 23.12.2015 को माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। और प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.12.2015 पारित कर प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि अभिभाषक की मानवीय त्रुटि होने से प्रकरण उनकी दैनिक डायरी में नहीं था ऐसी स्थिति में मानवीय आधार पर प्रकरण को पुनः स्थापित किया जाना चाहिये था।

(3) यहकि, प्रार्थीगण का यह कार्य होता है कि वह अपने प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही करें। चूंकि प्रार्थीगण जिला राजगढ के निवासी है। ओर वह कानून की बारिकियों से अनभिज्ञ है। ओर इसी दृष्टि से उनके द्वारा ग्वालियर के स्थानीय अभिभाषक को प्रकरण में पैरवी करने का अधिकार दिया गया था। इस संबंध में उन्हे विधिवत् रूप से प्रकरण के दस्तावेज तथा फीस प्रदान की गयी थी। ऐसी स्थिति में यदि अभिभाषक प्रकरण में तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं हुये है। तो इसका दोष अथवा आरोप प्रार्थीगण पर नहीं लगया जा सकता। ओर ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः स्थापित किया जाकर प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर किया जाना आवश्यक है।

आ...

19.2.16

दीक्षित उपस्थित। आवेदक अधि. के तर्क सुने गये। प्रकरण में पर्याप्त आधार होने से प्रकरण पुन: स्थापित किया जाता है। प्रकरण मूल प्रकरण R. 814-[illegible]/14 सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाता है।

कॉस्ट राशि Rs. 500/-

रसीद क्र. 5893 दि. 19.2.16 द्वारा जमा की गई।

सदस्य